FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (द्वितीय) मुकाम सीकर

जिनकु बनाम केसु-देवी

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

मिसल मुकदमा 212 RTA नं. 94 सन् 2008

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-5-17	पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकार उपस्थित हुये। आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी है। वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 5-5-17 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	
5-5-17	पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। निर्णय हेतु पत्रावली पेश हुयी है। आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का इस प्रकार से है। मूल वाद के साथ वादीगण ने इस आशय का आवेदन पेश किया है। अप्रार्थीगण 1 व 2 एक ही वंशज के है व खेडूराम के उत्तराधिकारी है। खेडूराम प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-2 का पिता है व मृतक गणपत राम का पिता है। तथा अप्रार्थी संख्या-1 का ससुर है। खेडूराम की मृत्यु के बाद इनके पुत्र गणपतराम की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो गयी है। उक्त विवादित पैतृक आराजी कृषि भूमि	

[signature] सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	ख०नं० ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४८५/1 1618/485 कुल कित० 6 कुल रकबा 11.54 ग्राम तारपुरा तहसील सीकर की सेन मे अवस्थित है। स्व० गणपत राम से अप्रार्थी स०2 से बिना प्रतिफल की भुआवजी विक्रय पत्र अपने पति मानाराम के नाम पंजीकृत करवा लिया। अतः विक्रय पत्र वादियागण की हितों व हकों के विरुद्ध प्रभावहीन शून्य व अवैध है। जो डिक्री करने के उद्देश्य से पंजीकृत करवाया गया है दावा दायरी के पश्चात भी उक्त ख०नं० 1618/485 रकबा 2.80 हैक्टर का एक भुआवजी विक्रय पत्र श्रीमती शान्ति शामिल पत्नी भवरलाल जाति जाट निवासी तारपुरा के पक्ष मे दिनांक 13-5-2008 को पंजीकृत करवा लिया है जिससे वादियागण पाबन्द नहीं है उनके हक अधिकार के विरुद्ध विक्रय पत्र प्रभावहीन शून्य है। उक्त सम्पदा पैतृक है जिसमे वादियागण का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा है तथा इसी प्रकार खातेदार काश्तकार काबिज है। नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 21-5-82 को अकेले गणपतराम के नाम से विरासत का भर दिया। सेडूराम की पांच पुत्रीया क्रमशः मैनी भनकोरी, परमी व बिजी देवी तथा एक पुत्र गणपतराम थे। गणपत राम ने अकेले अपने नाम से विरासत का नामान्तरकरण भरवा लिया जो कानूनन विरुद्ध है। गणपत राम ना औलाद फौत दिनांक 24-2-05 को हो चुका है। उनकी पत्नी सुन्दरी उक्त सिवारी भी स्वर्ग मे अप्रार्थीगण व अप्रार्थी स०2	

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

APP-A
Grim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का बराबर हक व अधिकार है अप्रार्थी सं०2 ने ख०नं० 485/1 रकबा 3.44 है० व पुराने ख०नं० 485 रकबा 6.29 है० में से 2.80 हैक्टर अपने पति मानाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया है जिसका अब कोई हक अधिकार शेष नहीं बचा है। अप्रार्थी सं०2 व स्व० गणपत राम ने आज स्वयं अन्य वारिसों के हक को खत्म करने की नियत से मानाराम के नाम से बिना प्रतिफल के विक्रय-पत्र तस्दीक करवाया गया है। पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या-1 व 4 व अप्रार्थी संख्या-1 का ही हिस्सा शेष बचा है, अप्रार्थी संख्या-2 ने गणपतराम के जीवन काल में ही जरिये विक्रय-पत्र के अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि प्राप्त कर चुकी है। पैतृक कृषि भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को भी बेचान या अन्य किसी प्रकार ट्रांसफर नाम खुर्द-बुर्द नहीं करेगी। प्रार्थीगण को उनके हिस्सा 1/5 1/5 से बेकब्जा करने बाबत करने काट-छांट करने से मना करने व उसमें व्यवधान उत्पन्न करने से मना रहे। मामला सुदृढ़ है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण यदि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपने कुउद्देश्य मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस लिए प्रार्थीगण की तादौराने वाद पत्र जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निवेदित फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर जरिये वकील उपस्थित हुये शेष अप्रार्थीगण स. 3 से 7 तक अनुपस्थित रहने तलबी होजाने के बाद इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी है।

अप्रार्थी स. 1 व 2 का जवाब पेश हुआ जिसके अनुसार प्रार्थीगण एव अप्रार्थी स. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य नहीं है तथा एक ही वंशज की सन्तान नही है न ही से उत्तराधिकारी है आवेदन पत्र की मदवार अस्वीकार है। ग्राम तारपुरा की भूमि ख.नं. 448, 447, 449, 450, 485। कुल किता 5 रकबा 18.70 है.की भूमि मे अप्रार्थी की स. 1 के पति स्व. गणपत की खाते काबिज काश्त की है। जिस पर अप्रार्थी स. 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है प्रार्थीगण का उक्त भूमि मे कोई हिस्सा नही है अप्रार्थी स. 1 अपनी हिस्सेदारी बनाकर कर रही है प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त उक्त भूमि पर नही रहा है। प्रार्थीनीगण अपने ससुराल रह रही है इनका कोई कब्जा व काश्त व हक अधिकार नही है प्रार्थीनीगण ने अप्रार्थीनी स. 1 के स्व. पति गणपत राम की खातेदारी का नामान्तकरण जो भरा गया था उसको चैलेन्ज किया गया था जो नामान्तकरण को जिला कलेक्टर सीकर व सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने बहाल

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रखकर, प्रार्थीगण की अपील खारीज कर चुके है इस प्रकार उक्त आराजी मुतनाजा से प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है व ही कोई कब्जा काश्त है प्रार्थीगण कानूनी प्रावधानों के तहत भी तरह का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है दावा व आवेदन पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अत: आवेदन खारीज करमाया जावे। आवेदन की बहस में वादी वकील ने बताया खातेदार सेडूराम के 5 लडकियां 1 लडका (गणपत) (फौत) केवल उसकी पत्नी सुंदरी है। सेडूराम की मृत्यु पर 5+1 खातेदार। काबिज काश्त थे। विरासत नामान्तकरण 195 दिनांक 21-5-92 को भरा जिसमें केवल अकेले पुत्र गणपत के नाम ही भरा। अब गणपत की भूमी सुन्दरी बेचना चाहती है। नामान्तरण अपील की थी। H.S.A धारा-8 मृतक के सभी पुत्र पुत्री को बराबर अधिकार है। मेरा अधोषणा का दावा है। तब तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पिता की भूमी	

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

पर आवास कर रही थी पशुधन रख
रही है। अतः वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा
एक प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।
प्रतिवादी सं.1 व 2 के वकील ने बहस के
दौरान बताया है। वाद कयास के आधार पर
है वादी clear hand से नहीं आया तो
सहायता नहीं दे सकते। भूमि सेडूराम के
नाम थी। उसकी मृत्यु पर उत्तराधिकार
में गणपत के नाम हो गई थी लड़कियां
सभी विवाहित है, ससुराल रहती है। गणपत
राम की मृत्यु हो गयी। गणपत की बेवा
सुंदरी काबिज काश्त है। इन लड़कियों का
मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। सेडूराम
की मृत्यु पर विरासत का नामांतरण BOR
ने अपील खारिज हो गया। कानूनी कार्यवाही
नहीं मिली। दावा अस्पष्ट है। कहां ख.नं.
mentioned है। जिसमें 1/5 1/5 खातेदार का
Declaration चाहते है। वारिस छह है,
अतः 1/6, 1/6 मानाराम की भूमि विक्रय कर
दी है अतः मानाराम की पत्नी (सेडूराम की
लड़की) को हक मिल गया पर कानूनन
मानाराम की पत्नी का उत्तराधिकार खत्म
नहीं हुआ है। ख.नं. 1618/485 रकबा 2.80 है.
भूमि सुमन धायल पत्नी इन्दर सींह के नाम
खातेदारी है। इन्हें पक्षकार नहीं बनाया अतः
नं.1 नहीं दी जानी चाहिए। रिकॉर्ड खातेदार
को पक्षकार नहीं बनाया तो दावा नं. 1 आवेदन
नहीं चल सकती। दो sall deed शामिलात

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की से जारी
	विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया है पत्रावली का अवलोकन किया गया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला विरासत हक की भूमी का बनता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। वाद की प्रकृती को देखते हुये मुल वाद के निस्तारण होने तक नुमायसी विक्रय तथा अन्य किसी प्रकार से भूमी का हस्तान्तरण नही हो पाये तथा वाद मे अनावश्यक पेचीदगीया नही बढ पाये। • अतः अप्रार्थीगण को तादौराने वाद-पत्र तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। ग्राम तारपुरा की भूमि ख.नं. ५५७, ५५४, ५५९, ५६०, ५४५/१, १६१४/५४५ कुल किता 6 कुल रकबा 11.59 हैक्टर की राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखी जाये। पत्रावली पेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजवीज तकमील दाखील दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5-5-2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।	
	(हस्ताक्षर) 5.5.17 सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	